www.rojgarsamachar.gov.in
www.employmentnews.gov.in

अंग्रेजी एवं उर्दू में भी प्रकाशित
वार्षिक शुल्क : ₹ 350

सत्यमेव जयते

रोज़गार समाचार

साप्ताहिक

खण्ड 37 अंक 48 पृष्ठ 72 | नई दिल्ली 2-8 मार्च 2013 | ₹ 8.00

मृत्यु-दंड : एक बहस

(26/11 के मुम्बई आतंकी हमले के दोषी अजमल कसाब को फांसी दिए जाने के तीन महीने के भीतर मोहम्मद अफजल गुरु को फरवरी 2013 में फांसी दी गई. न्यायमूर्ति वर्मा समिति ने बलात्कार के मामले में फांसी की सिफारिश नहीं की, क्योंकि समिति को इसके खिलाफ बड़ी संख्या में सुझाव प्राप्त हुए थे. केंद्र सरकार ने हाल ही में एक अध्यादेश जारी किया, जिसमें बलात्कार पीड़िता की मृत्यु या उसके लंबी अवधि तक निष्क्रिय अवस्था यानी कोमा में चले जाने की स्थिति में मृत्यु-दंड का प्रावधान है. हाल की इन घटनाओं ने मृत्यु-दंड के मुद्दे को विचारणीय बना दिया है.)

रोज़गार समाचार ने मृत्यु-दंड के मुद्दे पर नीचे कुछ खास लोगों के विचार प्रकाशित किए हैं. **न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त वी.आर. कृष्णा अय्यर** ने पत्र सूचना कार्यालय, कोच्चि के उप निदेशक **ए.एम. थॉमस** के साथ बातचीत की. **मुख्य न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) वी.एन. खरे** ने रोज़गार समाचार के मुख्य संपादक **अनुराग मिश्रा** और संपादक **इरशाद अली** के साथ एक साक्षात्कार में अपने विचार व्यक्त किए. न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) कृष्णा अय्यर के अनुसार **''मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, यहां तक कि आतंकवादियों के मामले में भी इस दंड का प्रावधान नहीं होना चाहिए.''** जबकि मुख्य न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) वी.एन. खरे के अनुसार **''आतंकवादी गतिविधियों के लिए मृत्यु-दंड उचित है और मृत्यु-दंड के प्रावधान को पूरी तरह खत्म नहीं किया जाना चाहिए.)**

उद्धरण

1) उच्चतम न्यायालय द्वारा मृत्यु-दंड का आदेश दिए जाने के बाद मोहम्मद अफजल गुरु की दया याचिका खारिज कर दी गई. उसके मामले को आपवादिक मामलों यानी क्रूरतम माना गया. क्या मृत्यु-दंड उचित है? आपके विचार.

न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर (वीआरके): उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में मैं लंबे समय से यह विचार व्यक्त करता रहा हूं कि मृत्यु-दंड को पूरी तरह समाप्त किया जाना चाहिए. विश्वभर में यह विचार व्यक्त किया जा रहा है कि मृत्यु-दंड पूरी तरह समाप्त होना चाहिए. यदि बहुत जरूरी हो तो इसे आपवादिक मामलों में दिया जा सकता है. बृहत्तर स्तर पर यही विचार व्यक्त किया जा रहा है. मेरा अब भी यह मानना है कि जहां तक संभव हो, अधिसंख्य मामलों में मृत्यु-दंड समाप्त किया जाना चाहिए. विश्व स्वास्थ्य संगठन और अधिसंख्य राष्ट्रों का भी यह विचार है कि मृत्यु-दंड बिना किसी अपवाद के समाप्त होना चाहिए.

न्यायमूर्ति वी.एन. खरे (वीएनके): मेरे विचार में आपवादिक मामलों मामलों में मृत्यु-दंड बनाए रखा जाना चाहिए. मेरा यह विचार है कि यूरोपीय संघ के देशों या ब्रिटेन के समान भारत में अभी ऐसी स्थिति नहीं आई है कि मृत्यु-दंड को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए. आंतरिक तोड़फोड़ या आंतरिक विद्रोह अथवा बाहरी हमलों जैसे जघन्य अपराधों और भारत की भौगोलिक स्थिति और संवेदनशील पास पड़ोस, आतंकवादियों और उनकी गतिविधियों को देखते हुए कानून की किताब में मृत्यु-दंड का प्रावधान अवश्य होना चाहिए.

जहां तक बलात्कार सहित यौन अपराधों का संबंध है, एक न्यायाधीश और एक वकील के रूप में अपने लंबे कार्यकाल के आधार पर मैं बलात्कार जैसे अपराधों के मामले में मृत्यु-दंड के बिल्कुल पक्ष में नहीं हूं. ऐसे अपराध लोगों की नजर से परे सुनसान स्थानों पर घटित होते हैं जहां कोई गवाह नहीं होता. ऐसे मामलों में पीड़िता का बयान और भौतिक जांच महत्वपूर्ण होती है. यदि बलात्कार के प्रत्येक मामले में मृत्यु-दंड दिया जाएगा तो अभियुक्त एक साथ दो अपराध करेगा. पहले तो वह बलात्कार करेगा और उसके बाद सबूतों को मिटाने की कोशिश करेगा और बचने के लिए पीड़िता को खत्म करेगा. इसलिए मेरे विचार में ऐसे अपराध के लिए 50 साल के कारावास या ऐसी ही कोई और सजा दी जानी चाहिए. यदि बलात्कार के बाद हत्या की जाती है तो ऐसे मामले में मृत्यु-दंड दिया जाना चाहिए.

2) क्या मृत्यु-दंड निवारक अथवा प्रतिरोधक है?

वीआरके: मेरे विचार में मृत्यु-दंड डिटरेंट या निवारक नहीं हो सकता. इस तथ्य के बावजूद कि मृत्यु-दंड का प्रावधान सदियों से जारी है, हत्याएं भी पहले की तरह ही जारी हैं. इससे पता चलता है कि फांसी का फंदा हत्याओं का निवारक नहीं बना है. हत्याएं क्षणिक आवेश में की जाती हैं.

वीएनके: मृत्यु-दंड के बावजूद हत्या के कितने मामले रुके हैं? हर रोज़ हर जिले में ऐसी कार्रवाइयां हो रही हैं. ये कैसे रोके जा सकते हैं? बचने की कोशिश करना मानव का स्वभाव है. बलात्कार सहित अपराधों को बढ़ने से रोकने के लिए, आपवादिक मामलों (क्रूरतम) मामलों में मृत्यु-दंड का प्रावधान जारी रहना चाहिए.

3) यदि सरकार ऐसे मामलों से निपटने में फांसी जैसे कड़े उपाय नहीं अपनाएगी तो भारत को एक कमजोर देश समझा जाएगा. अमरीका में मृत्यु-दंड दिया जाता है और अमरीका अनेक आतंकवादियों को फांसी पर चढ़ा चुका है.

वीआरके: अमरीका जो कुछ करता है उसका अनुपालन शेष विश्व को करने की आवश्यकता नहीं है. अमरीका में भी कई प्रांतों ने मृत्यु-दंड समाप्त कर दिया है. ऐसा ही ब्रिटेन में भी है. उदाहरण के लिए ग्रेट माउंटबेटन की हत्या की गई और हत्यारे को मृत्यु-दंड सुनाया गया. इस बीच, ब्रिटेन ने मृत्यु-दंड समाप्त कर दिया. इसलिए माउंटबेटन के हत्यारे को फांसी नहीं दी गई. यह आश्चर्य की बात है कि एक असंगत दृष्टिकोण अपनाया गया.

वीएनके: नहीं. क्या पश्चिमी देश कमजोर राष्ट्र माने जाते हैं? वास्तव में, माफी के मामलों में तटस्थ मानदंड अपनाया जाना चाहिए. मृत्यु-दंड को कम सजा में परिवर्तित किया जाना चाहिए. इसके अपवाद होने चाहिए. ऐसे अपराधों में जहां देश की अखंडता नष्ट की गई हो, माफी नहीं दी जानी चाहिए, जैसा कि अफजल गुरु के मामले में हुआ. ऐसे मामलों में मृत्यु-दंड अवश्य दिया जाना चाहिए लेकिन अन्य मामलों में तटस्थ भाव से देखना चाहिए. पहला यह है कि अपराध करने के पीछे लक्ष्य क्या था और दूसरे यह कि क्या अभियुक्त को अपराध पर कोई पछतावा है या नहीं. यदि अपराधी को पश्चाताप हो तो ऐसे व्यक्ति को सुधारा जा सकता है और किसी व्यक्ति को सुधारने के प्रयास किए भी जाने चाहिए और मानवजीवन नष्ट नहीं किया जाना चाहिए. अनेक ऐसे अपराध हैं जिन्हें करने के बाद अभियुक्त यह महसूस कर सकता है कि उसने गलत किया है. बलात्कार सहित ऐसे अपराध तात्कालिक आवेश का नतीजा होते हैं.

आतंकवादी गतिविधियों में कोई पछतावा नहीं होता. आतंकवादियों की मानसिकता और हर पहलू तयशुदा और योजनाबद्ध होता है कि उन्हें कोई पछतावा नहीं होता. ऐसे मामलों में मृत्यु-दंड ही एकमात्र समाधान है.

4) यदि मृत्यु-दंड समाप्त कर दिया जाए तो आतंकवादियों से न्याय व्यवस्था कैसे निपटेगी?

वीआरके: जहां तक आतंकवादियों का प्रश्न है, उन्हें आजीवन कारावास अथवा कालकोठरी में डाला जा सकता है. यह एक बेहतर विकल्प हो सकता है. जहां तक भारत का प्रश्न है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने मृत्यु-दंड का पूरी तरह विरोध किया था. निवारक के रूप में मृत्यु-दंड की नाकामयाबी तीन उदाहरणों से स्पष्ट होती है: मृत्यु-दंड के प्रावधान के बावजूद हमारे देश के नेकतम सदस्यों में से एक महात्मा गांधी की निर्मम हत्या की गई, इसी प्रकार अमरीका के सपूतों में से एक अब्राहिम लिंकन को निकट से गोली मारी गई, जबकि वहां कानून की पुस्तक में मृत्यु-दंड का प्रावधान था. इसी तरह जीसस क्राइस्ट, जैसा मानव दूसरा नहीं हुआ है, को न्यायिक दृष्टि से मृत्यु-दंड दिया गया. काश! मृत्यु-दंड से हत्यारे बाज आ सकते!

वीएनके: मैं मृत्यु-दंड को पूरी तरह समाप्त करने की सिफारिश नहीं कर सकता. आपवादिक मामलों के सिद्धांत के आधार पर मृत्यु-दंड होना चाहिए. जहां भारत की सीमाओं पर चारों ओर से हमले हो रहे हों, जहां आतंकवादी सक्रिय हों, वहां आप मृत्यु-दंड को समाप्त नहीं कर सकते.

रोज़गार सारांश

के.औ.सु.ब.

● केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा 1654 आरक्षक/चालक की भर्ती
अंतिम तिथि: 09.04.2013

भिलाई स्टील प्लांट

● सेल, भिलाई इस्पात संयंत्र को 937 अटेंडेंट-सह-तकनीशियन (प्रशिक्षु) व ऑपरेटर-सह-तकनीशियन (प्रशिक्षु) की आवश्यकता.
अंतिम तिथि: 14.03.2013

वेस्टर्न कोलफील्डस

● वेस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड को 242 माइनिंग सिरदार एवं सर्वेक्षक (खान) की आवश्यकता.
अंतिम तिथि: 05.04.2013

कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड

● कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा 213 सुपरवाइजरी एवं कार्मिक पदों के लिए आवेदन-पत्र आमंत्रित.
अंतिम तिथि: 11.03.2013

बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, सशस्त्र सेनाओं, रेलवे और अन्य सरकारी विभागों की अन्य रिक्तियों के लिए अंदर के पृष्ठ देखें.

प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण : एक क्रांतिकारी पहल

—एन नवीन सोना

यह एक बदलाव की लहर है, जिसके जरिए प्रौद्योगिकी आधारित एक राष्ट्रव्यापी पहल से सरकार से नागरिकों को मिलने वाले लाभ के तौर-तरीके में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है. इसके पहले चरण में, 20 ज़िलों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना की शुरूआत हुई और दूसरा चरण फरवरी में शुरू हुआ. नीचे आलेख में वर्धा (महाराष्ट्र) में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण पर प्रकाश डाला गया है.

वर्धा ज़िले के इतिहास की शुरूआत किसी अन्य से नहीं बल्कि महात्मा गांधी द्वारा एक छोटे से गांव में सेवाग्राम आश्रम की स्थापना के निर्णय से हुई. यह थाह लेना कठिन हो सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के लिए फ़ैसला यहीं पर शांत बांस से बनी झोंपड़ी में हुआ था जो क्रांति की एक छोटी और विनम्र शुरूआत थी, जिसने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया और शासकों को विनम्रता का पाठ पढ़ाया तथा संपूर्ण राष्ट्र को गौरव और स्वतंत्रता दिलाई. क्रांति के ये बीज़ एक बार फिर वर्धा में अपनी जड़ें जमा रहे हैं. ये क्रांति अब आधार से जुड़ी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजना के रूप में आई है, जिसकी 1 जनवरी, 2013 से सफलतापूर्वक शुरूआत हो गई है. भारत जैसे विशाल देश में, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) को बदलाव का नमूना कहना सत्य होगा-वास्तव में यह तीन भिन्न प्रतिमानों का संगम हैं: **1) वित्तीय समावेश 2) सीधे नकदी/लाभ/सब्सिडी भुगतान और 3)यूआईडी.**

वर्धा-एक परिचय

नागपुर से 75 कि.मी. दूर स्थित वर्धा की 12.99 लाख जनसंख्या है, जो कि मुख्यतः वर्षा पर आधारित कृषि अर्थव्यवस्था वाला क्षेत्र है. यहां की मुख्य फसलें कपास, सोया और अरहर हैं. ज़िले में 8 तालुका हैं जिनमें सेवाग्राम शामिल है. बोर टाइगर रिज़र्व प्रमुखता से है. वर्धा प्रधानमंत्री और योजना आयोग द्वारा चयनित 43 ज़िलों में से एक डीसीटी/डीबीटी प्रायोगिक ज़िला है. लेकिन यह उल्लेखनीय है कि डीबीटी की घोषणा से पूर्व वर्धा पहले से ही बहुत-सी योजनाओं के लिए प्रायोगिक क्षेत्र था, इनके नाम हैं: i) उर्वरक विभाग द्वारा क्रियान्वित उर्वरक के क्षेत्र में मोबाइल फर्टिलाइज़र मानीटरिंग सिस्टम-एमएफएमएस से संबंधित राष्ट्रीय पायलट डीसीटी हेतु 10 ज़िलों में से एक, ii) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से, शुरूआत में कैरोसीन के लिए प्रत्यक्ष नकदी भुगतान के नाम से पुकारी जाने वाली योजना (डीटीसीके), iii) ग्रामीण विकास मंत्रालय का राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम-एनएसएपी तथा आधार से जुड़ी अन्य योजनाओं के लिए स्वयं की पहल.

आधार

ज़िले की 87 प्रतिशत से अधिक यूआईडी कवरेज है. ज़िला प्रशासन ने राज्य पंजीयक एजेंसियों के जरिए फेस-1 और फेस-2 में नामांकन किये, जिनमें विशेष शिविरों का आयोजन शामिल है. लोगों में आधार के लिए पैदा हुए उत्साह के परिणामस्वरूप ज़िले में विभिन्न पहचान कार्य में डाटाबेस तैयार किये जा सके. सबसे पहले एनआईसी द्वारा विकसित ईआरसीएमएस सॉफ्टवेयर के जरिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली राशन कार्ड के डिजिटीकरण से इसकी शुरूआत हुई. दोहरेकरण को हटाने के संदर्भ में चलाए गए अभियान में डाटाबेस में आधार नंबरों को दर्ज़ कर दिया गया. महत्वपूर्ण प्रयास एक विशेष सॉफ्टवेयर के जरिए ''इनआर्गेनिक सीडिंग'' के रूप में सामने आया. इसके जरिए पहचान कार्य में पारदर्शिता को तीव्र गति से लाना. इसके बाद अन्य डाटाबेस निम्नलिखित से संबंधित थे: एनएसएपी (संजय गांधी निराधार योजना-महाराष्ट्र सरकार की पेन्शन योजना, यूआईडी युक्त 22 हजार लाभार्थी), मनरेगा रोज़गार कार्ड धारक, एलपीजी कनेक्शन धारकों का डाटाबेस. इससे डिजिटाइज्ड सूचियां तैयार की गई और यथावश्यक क्षेत्र सत्यापन के लिए भेजी गई.

वित्तीय समावेश

वर्धा एक प्रमुख वित्तीय समावेश (एफआई) जिला भी है, जिसकी शुरूआत भारतीय रिज़र्व बैंक ने की थी और बाद में इसे वित्त मंत्रालय और इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन (आईबीए) द्वारा क्रियान्वित स्वाभिमान योजना 2011 के तहत प्रतिष्ठापित किया गया. इस कदम का आशय लोगों को बैंकिंग की परिधि में लाना और क्योस्क बैंकिंग, अति लघु शाखाओं के जरिए सक्रिय रूप से शाखा-रहित बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करवाना तथा महत्वपूर्ण रूप से बैंकिंग प्रतिनिधियों (बीडी) के जरिए द्वार पर सेवाएं उपलब्ध कराना है. यह ब्रिक एंड मोर्टार ब्रांचों (बीएंडएम) और एटीएम (बैंक में उसी स्थान पर और उससे दूर, दोनों प्रकार से, बैंक से स्वतंत्र) के फुटप्रिंट और सघनता के अतिरिक्त है. इन वित्तीय समावेश पहलों ने 2000-5000 जनसंख्या वाले गांवों को एक साथ जोड़ने का काम किया है, जहां बैंकों द्वारा अपने बैंकिंग प्रतिनिधि (बीसी) तैनात किये जाते हैं, जो कि लोगों के घर पर ही जाकर बैंक खाते खोलते हैं और ऋण वसूली एजेंटों के तौर पर भी काम करते हैं. ये व्यक्ति वेतन के साथ कार्यनिष्पादन आधारित प्रोत्साहन प्राप्त करते हैं.

वर्धा में वित्तीय समावेशन गतिविधियों के संबंध में अनेक कदम उठाए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप 13 लाख जनसंख्या में से 10 लाख से अधिक के बैंक खाते हैं और

शेष पृष्ठ 40 पर

भूविज्ञान के क्षेत्र में कॅरिअर के अवसर

भूविज्ञान में पृथ्वी की उत्पत्ति, क्रम विकास, संरचना और व्यवहार के बारे में अध्ययन किया जाता है. इसमें पृथ्वी के जीवों, प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण के संघटकों का अध्ययन तथा सौर मंडल तथा उनके ग्रहों का अन्वेषण करना शामिल है. इन अध्ययनों का उपयोग कृषि, खनन, सिविल इंजीनियरिंग आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में होता है. भूविज्ञान का अध्ययन बेहतर जिंदगी के लिए मार्ग प्रशस्त करता है. यह पृथ्वी के मूल्यवान संसाधनों की खोज में मदद करने के साथ उनके विवेकपूर्ण उपयोग के महत्व के बारे में बताता है. यह उन आसन्न प्राकृतिक आपदाओं के बारे में अवगत कराता है जिससे प्राणियों की जान को खतरा होता है और इस संबंध में आपदा नियंत्रण समाधान की जानकारी देता है.

एक शैक्षिक क्षेत्र के रूप में, भूविज्ञान अनुप्रयुक्त विज्ञान का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है. इस क्षेत्र में पेशेवरों का ज्ञान, कौशल और शोध सीधे रूप से मानव जीवन को कई तरह से प्रभावित करता है. भूवैज्ञानिकों की कुछ गतिविधियों में शामिल हैः

- ग्रह की उत्पत्ति और उसके रूपांतरण का अध्ययन तथा उसके भौतिक गुणों की गणना.
- महाद्वीपों की गति, समुद्र तल का बढ़ना/घटना और चट्टानों के निर्माण जैसे इसके व्यवहारों के बारे में पूर्वानुमान लगाना.
- पूर्व और वर्तमान जलवायु का विश्लेषण, वैश्विक जलवायु पैटर्न को समझना और मौसम का पूर्वानुमान लगाना.
- ज्वालामुखी फटने, भूकंप, तूफान, बाढ़, भूस्खलन और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले जान और माल के नुकसान को कम करना.
- तेल, प्राकृतिक गैस, ईंधन, धातु, खनिज और भूजल जैसे प्राकृतिक मूल्यवान संसाधानों की खोज.
- पर्यावरणीय प्रभाव को समझना तथा पारिस्थितिकी तंत्रों के संतुलन को बनाए रखना.
- कृषि उत्पादकता बनाए रखना.
- संसाधन मानचित्रण, रिमोट सेंसिंग, पुनर्चक्रण, प्रौद्योगिकी और कम्प्यूटर सिम्यूलेशन जैसी तकनीकी सहायता प्रदान करना.
- पृथ्वी का तापमान बढ़ना (ग्लोबल वार्मिंग), जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, कचरे के निपटारे, दूषित भूमि के लिए समाधान निकालना.
- भूमि उपयोग योजनाओं का विकास.

शैक्षिक अवसर

भूविज्ञान का विषय स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएच.डी स्तर पर उपलब्ध है. देशभर के विभिन्न कॉलेजों में भूविज्ञान में बी.एससी प्रोग्राम या ऑनर्स के रूप में या समूह में एक विषय के रूप में अनुप्रयुक्त भूविज्ञान पाठ्यक्रम उपलब्ध है. एम.एससी भूविज्ञान का स्नातकोत्तर कार्यक्रम संरचनागत भूविज्ञान (स्ट्रक्चरल जियोलॉजी), खनिज विज्ञान (मिनरोलॉजी), शिला विज्ञान (पेट्रोलॉजी), जल विज्ञान (हाईड्रोलॉजी), समुद्र विज्ञान (ओशनोग्राफी), ज्वालामुखी विज्ञान (वॉल्कैनोलॉजी), सेडीमेंटोलॉजी, प्लेनॉटोलॉजी, मौसम विज्ञान (मीटियॉरोलॉजी), भू.आकृति विज्ञान (जियोमोरफॉलोजी), वायुमंडलीय विज्ञान (एटमोसफेरिक साइंस), पर्यावरणीय विज्ञान (एन्वायरमेंटल साइंस), मृदा विज्ञान (सॉयल साइंस), भूवैज्ञानिक अभियांत्रिकी (जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग) आदि जैसी विशिष्टताओं के साथ उपलब्ध है. भूविज्ञान के क्षेत्र में सफल होने के लिए प्रभावी तकनीकी कौशल के अलावा पृथ्वी के संरक्षण, निरंकुश जिज्ञासा, समस्या का समाधान निकालने की प्रवृत्ति, खोज करने की क्षमता और दृढ़ता बहुत ज़रूरी है.

कॅरिअर

भूविज्ञान में विविध कॅरियर विकल्प हैं. क्षेत्र में विशेषज्ञता के आधार पर भूवैज्ञानिक विविध प्रकार की विभिन्न भूमिका अदा कर सकते हैं. इनमें से कुछ भूमिकाएं जो वे ग्रहण कर सकते हैं उनमें संरचनागत भूवैज्ञानिक (स्ट्रक्चरल जियोलॉजिस्ट), स्ट्रेटिग्राफर,, जियोमोरफॉलोजिस्ट, शिला वैज्ञानिक (पेट्रोलॉजिस्ट), भूभौतिकी-विज्ञान (जियोफिसिस्ट), भू.रसायनज्ञ (जियोकैमिस्ट), भूगोलवेत्ता (जियोग्राफर), जियोहाईड्रोलॉजिस्ट, ओशिनोग्राफर, वायुमंडलीय वैज्ञानिक (एटमॉस्फेरिक साइंटिस्ट), अभियांत्रिकी भूवैज्ञानिक (इंजीनियरिंग जियोलॉजिस्ट), मौसम विज्ञानी (मीटियोरोलॉजिस्ट), जीवाश्म वैज्ञानिक (पैलियेन्टोलॉजिस्ट), पेलियोइकोलॉजिस्ट, खनिज विज्ञानी (मिनरलॉजिस्ट), पेट्रोलियम भूवैज्ञानिक (पेट्रोलियम जियोलॉजिस्ट), मृदा विज्ञानी (सॉयल साइंटिस्ट), सेडीमेंटोलॉजिस्ट), भूकंपज्ञ (सिसमोलॉजिस्ट), ज्वालामुखी विज्ञानी (वॉलकैनोलॉजिस्ट) और जियोक्रोनोलॉजिस्ट शामिल है. भूवैज्ञानिकों के लिए रोज़गार के असंख्य अवसर हैं. प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास, पर्यावरण संबंधी बढ़ती चिंताएं और बार-बार होने वाली प्राकृतिक आपदाओं ने इन पेशेवरों की मांग बढ़ाई है. सरकारी संगठन, स्वयं सेवी संस्थान, अनुसंधान संगठन और शैक्षिक संस्थान सक्रियता से भूवैज्ञानिकों को नियुक्त करते हैं. रक्षा और अद्धसैनिक बल, परिवहन विभाग, नगर निगम भी भूवैज्ञानिकों की सेवा लेते हैं.

संघ लोक सेवा आयोग भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) और केंद्रीय भूजल बोर्ड जैसी केंद्र सरकार की एजेंसियों में भूवैज्ञानिकों के रोज़गार के लिए परीक्षा आयोजित करता है. निजी क्षेत्र में सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, खनिज अन्वेषण, खनन, तेल, गैस और पेट्रोल अन्वेषण, प्राकृतिक संसाधन, कचरे के निपटान, पर्यावरणीय परामर्श और सिविल इंजीनियरिंग कंपनियां भूवैज्ञानिकों को नियुक्त करती हैं. प्रमुख कंपनियां जो भूवैज्ञानिकों को नौकरियां देती हैं उनमें जीएसआई, ओएनजीसी, कोल इंडिया, बीपीआरएल, जीएसपीसी, ऑयल इंडिया लिमिटेड, केंद्रीय भूजल बोर्ड, मिनरल एक्सप्लोरेशन अथॉरिटी, हिंदुस्तान जिंक, एनएमडीसी, कैयर्न इंडिया लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड और एस्सार ऑयल लिमिटेड शामिल हैं. अनुसंधान संभावनाओं को देखें तो अधिकांश विश्वविद्यालय, आईआईटी तथा राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय भूभौतिक अनुसंधान संस्थान, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला और वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान जैसे अनुसंधान संस्थान शोध सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं.

चुनौतियां

भूविज्ञान के क्षेत्र में नौकरी में आमतौर पर साहसिक कार्य और फील्डवर्क की काफी जरूरत होती है. इसमें शारीरिक और मानसिक रूप से मज़बूत होना पड़ता है. भूवैज्ञानिकों को अपने घरों से काफी लंबे समय तक दूर रहने और रेगिस्तान, पहाड़ों तथा खनन के क्षेत्रों में रहने के लिए तैयार रहना चाहिए. सूचना एकत्र करने के लिए उन्हें अक्सर ज्वालामुखी फटने, हिमस्खलन और भूकंप जैसी प्राकृतिक घटनाओं का सामना करना पड़ता है. भूवैज्ञानिक पृथ्वी और उसमें बसे जीवन के संरक्षक हैं. वे स्थिरता के लिए उसके संसाधनों और पर्यावरण के भी रक्षक हैं.

कॉलेज और पाठ्यक्रम

कॉलेज	पाठ्यक्रम	पात्रता	दाखिला	वेबसाइट
भारतीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान कोलकाता	भूविज्ञान में पांच साल का एकीकृत बीएस-एमएस कार्यक्रम	10+2	किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना (केवीपीवाई) एसएक्स, एसबी, एसए और एसपी स्ट्रीम/किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना (केवीपीवाई) एसएक्स, एसबी,एसए और एसपी या क्वालीफाइड परीक्षा में उपलब्ध अंकों और आईआईएसई आर विज्ञान अभिरुचि परीक्षा में प्रदर्शन	www.iiserkol.ac.in
दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली	पांच साल का एकीकृत एम.-एससी भूविज्ञान	10+2	आईआईटी जेईई/क्वाली-फाइड परीक्षा में उपलब्ध अंकों में प्रदर्शन	www.du.ac.in
गोवा विश्वविद्यालय गोवा	भूविज्ञान में दस वर्ष की एम.एससी	उपयुक्त क्षेत्र में स्नातक	-	www.unigoa.ac.in
उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद	भूविज्ञान और अनुप्रयुक्त भू-रसायन में दस वर्षीय एम.एससी	बी.एससी भूविज्ञान या बी.एससी (भू-अन्वेषण और ड्रिलिंग प्रौद्योगिकी)	प्रवेश परीक्षा में प्रदर्शन	www.osmania.ac.in
श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय तिरूपति	भूविज्ञान में दस वर्ष की एम.एससी	भूविज्ञान में बी.एससी	प्रवेश परीक्षा में प्रदर्शन	www.svuniversity.in
आंध्र विश्वविद्यालय विशाखापत्तनम	भूविज्ञान में दस वर्ष की एम.एससी	भूविज्ञान में बी.एससी	प्रवेश परीक्षा में प्रदर्शन	www.andhrauniversity.info
अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नै	जियोइंफोर्मेटिक्स में दस वर्ष की एमई	बीई/बी.टेक (सिविल/ जियोइंफोर्मेटिक्स) या एम.एससी अनुप्रयुक्त भूविज्ञान	टीएएनसीईटी या गेट में प्रदर्शन	www.annauniv.edu
जवाहरलाल नेहरू तकनीकी संस्थान हैदराबाद	जियोइंफोर्मेटिक्स और सर्वेक्षण प्रौद्योगिकी में दस वर्ष की एम.टेक	उपयुक्त क्षेत्र में बीई/बी.टेक	प्रवेश परीक्षा या गेट में प्रदर्शन	www.jntu.ac.in
गुरु जाम्भेश्वर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हिसार, हरियाणा	जियोइंफोर्मेटिक्स में दस वर्ष की एम.टेक.	क्वालीफाइड परीक्षा में कम से कम 55 प्रतिशत अंक के साथ भूविज्ञान/पर्यावरणीय विज्ञान/ एग्रोमिटियोरोलॉजी/कृषि विज्ञान/मृदा/ भौतकी/ भूभौतिकी/अनुप्रयुक्त भूविज्ञान/गणित रिमोट सेंसिंग/कंप्यूटर साइंस/ आईटी सॉफ्टवेयर/ भूविज्ञान/समुद्रीविज्ञान/ शहरी और क्षेत्रीय योजना भूगोल/एमसीए में एम.एससी या सिविल/ आईटी/इलैक्ट्रॉनिक और संचार/कंप्यूटर मेकेनिकल इंजीनियरिंग/ कृषि अभियांत्रिकी/ इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग/ इलैक्ट्रॉनिक और इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीई/बी.टेक	गेट में प्रदर्शन या प्रवेश परीक्षा और क्वालीफाइड परीक्षा में प्राप्त अंक में प्रदर्शन	www.gjust.ac.in

इस लेख में सिकंदराबाद आधारित TMIE2E 2 ई अकादमी कॅरियर सेंटर का योगदान है. ई-मेल : faqs@tmie2e.com

साप्ताहिक हलचल

(15.02.2013 से 22.02.2013)

- *ब्रिटेन के प्रधानमंत्री श्री डेविड कैमरॉन ने अपने हालिया भारत दौरे के दौरान प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के साथ द्विपक्षीय वार्ता की. द्विपक्षीय वार्ता के प्रमुख बिंदुओं में ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे में ब्रिटेन की सहायता, असैन्य परमाणु समझौता संधि के लिए चर्चा, अधिक मजबूत साइबर सुरक्षा कानून, कर परिहार और कर चोरी से मुकाबला करने के लिए अपने डाटा को साझा करना, निवेश पर अवरोधों को समाप्त करने और भारतीय व्यापारियों, विद्यार्थियों के लिए वीजा कानून को और अधिक आसान बनाना शामिल है. इसके अलावा दोनों पक्ष 2015 तक दोहरे द्विपक्षीय व्यापार सौदे पर भी सहमत हुए.*
- *फ्रांस के राष्ट्रपति की पहली भारत यात्रा. भारत और फ्रांस ने एक साथ मिलकर लगभग 30.000 करोड़ रुपए की लागत वाली छोटी-दूरी वाली वायु रक्षा प्रणाली विकसित करने पर चर्चा की.*
- *हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कश्मीर में किशनगंगा पनबिजली परियोजना (केएचईपी) से जल के मार्ग को मोड़ने के मामले में भारत के अधिकार को बरकरार रखा है. न्यायालय ने पाकिस्तान की इस दलील को खारिज कर दिया कि भारत उत्तरी कश्मीर में बांदीपुरा के पास गुर्ज घाटी में परियोजना का उल्लंघन कर रहा है.*
- *तेल भंडारों के निर्माण में संयुक्त राष्ट्र अमीरात भारतीय बुनियादी ढांचे में दो बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा.*
- *केन्द्र ने अंतिम कावेरी अधिनिर्णय को अधिसूचित किया. उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार जारी अधिसूचना 90 दिनों के भीतर प्रभावी होगी.*
- *त्रिपुरा में रिकॉर्ड 92 प्रतिशत लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया. 60 सदस्यों वाली विधानसभा में मतदान अधिकतर शांतिपूर्ण रहा.*
- *झारखंड में नया ताप संयंत्र. निवेश संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) द्वारा झारखंड में 1980 मेगावाट के उत्तरी करनपुरा विशेष ताप बिजली संयंत्र की स्थापना को मंजूरी दी.*
- *सरकार ने यौन हिंसा के अपराधियों के लिए कड़ी सजा के प्रावधानों के लिए 3 फरवरी को राष्ट्रपति द्वारा लागू अध्यादेश राज्यसभा में प्रस्तुत किया. संसद में जल्द ही इस अध्यादेश के स्थान पर विधेयक को प्रस्तुत किया जाएगा.*
- *मुंबई में आयोजित विश्व मानव संसाधन विकास सम्मेलन 2013 में एनएलसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बी. सुरेन्दर मोहन को 'सीईओ विथ एचआर ओरिएंटेशन' अवार्ड प्रदान किया गया.*
- *इला भट्ट को वर्ष 2011 का इंदिरा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया.*
- *जेरी पिंटो ने हिंदू लिटरेरी पुरस्कार प्राप्त किया.*
- *बर्लिन फिल्म समारोह में रोम के नाटक चाइल्ड्स पोज ने गोल्डन बियर पुरस्कार जीता. इसमें एक मां द्वारा अपनी सामाजिक स्थिति का इस्तेमाल कर अपने बेटे को जेल से मुक्त कराने के प्रयास को दिखाया गया है.*
- *संस्कृत विरासत कारवां की शुरुआत. संस्कृत कारवां भारतीय विरासत कारवां का एक भाग है. यह भारतीय प्रेस परिषद और उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायधीश की पहल है, जिसका उद्देश्य संस्कृत और उर्दू जैसी भारतीय भाषाओं का संवर्धन, संरक्षण और प्रसार करना है.*
- *ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज पर 114 रनों की जीत के साथ महिला विश्व कप प्रतियोगिता (क्रिकेट) में छठी बार अपना बेहतरीन रिकॉर्ड बनाया.*
- *विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद ने जर्मनी के आर्कादिज नाइदिश को हराकर ग्रेंके क्लासिक शतरंज टूर्नामेंट जीत वर्ष का पहला खिताब हासिल किया.*

दिल्ली पोस्टल पंजीकरण संख्या डीएल-एसडब्ल्यू 1/4100/2012-14 यू. (सी.)-107/2012-14 पूर्व शुल्क के बिना डाक में डालने की अनुमति आर.एन.आई.28729/76 एन.डी.पी.एस.ओ. नई दिल्ली 2/4.03.2013 (₹ 8) प्रकाशन तिथि : 28.02.2013

प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण...

प्रथम पृष्ठ का शेष

सचमुच में यह एक वित्तीय समावेशी ज़िला बना गया है. बैंकिंग प्रतिनिधियों में उद्यमी महिलाएं भी शामिल हैं जिनमें से कुछ ने 6 माह में अकेले ही 2000 से अधिक खाते खोले हैं. नवंबर-दिसंबर, 2012 में ही करीब 40,000 नए शून्य बैलेंस बचत खाते खोले गए. ये सब एनएनएम, आशा कार्यकर्ता, विभिन्न विभागों के सभी फील्ड स्टाफ को शामिल करते हुए खाता खोलने के समावेशी तरीके की नई पद्धति से संभव हो पाया है जिसके तहत बैंक द्वारा प्रत्येक खाते के लिए रु. 10/- प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाता है.

अतः प्रमुख बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और 16 अन्य बैंकों ने उनके सक्रिय कदमों से और सक्रिय सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण ने ज़िले को अधिक वित्तीय समावेशी बना दिया है.

वर्धा को मजबूत वित्तीय समावेश आधार, त्वरित यूआईडी कवरेज, डिजिटाइज्ड डाटाबेस और तकनीक समर्थित प्रशासन की वजह से चुना गया, जिसने बैंकों और आईटी क्षेत्र को एक साथ मिलाकर ज़िले में युद्ध स्तर पर काम को अंजाम दिया.

अतः जब योजना आयोग ने डीबीटी की घोषणा की तो वर्धा जिला पहले से ही संजय गांधी निराधार योजना में 369 लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में आधार भुगतान मार्ग के जरिए सीधे नकदी भुगतान कर चुका था.

चुनौतियों की भरमार थी, 1)पहला कदम था लाभार्थियों के विवरण का डिजिटीकरण करना 2)डाटा क्लीनिंग 3)डाटा का मानकीकरण 4)लक्षित समूह के लिए यूआईडी नामांकन अभियान 5)आधार के साथ बैंक खातों को जोड़ना 6)बैंकिंग प्रतिनिधियों (बीसी) के नेटवर्क की स्थापना करना 7)आधार आधारित सूक्ष्म एटीएम मशीनें प्राप्त करना. आरंभ में नवंबर में सेलू ऐसी पहली तहसील बन गई, जिसमें महाराष्ट्र सरकार की संजय गांधी पेन्शन योजना से संबंधित धनराशि को आधार आधारित प्रणाली के तहत भुगतान किया गया. यह लाभार्थियों-बूढ़ी महिलाओं, पुरुषों, अकेले रहने वालों और पूर्णतः सरकारी पेन्शन के सहारे गुजर बसर कर रहे लोगों तक पहुंचने में यह एक बड़ा कदम था. उनके खाते खोलने और उनके द्वार पर ही उनके अधिकारों को लाभ प्रदान करने के वास्ते विशेष अभियान चलाया गया. इस बीच महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजना की घोषणा कर दी गई और जिले में 6 योजनाएं शुरू कर दी गई.

भारत में पहला तुरंत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण

परिणामस्वरूप 28 नवंबर 2012 को वर्धा त्वरित सीपीएसएमएस आधारित डीबीटी का लाभ पहुंचाने वाला देश में पहला ज़िला बन गया, जिसके तहत उसी दिन लाभार्थी भुगतान आदेश सीपीएसएमएस (योजना आयोग और सीजीए, वित्त मंत्रालय का केंद्रीय योजना स्कीम निगरानी प्रणाली पोर्टल) पर अपलोड कर दिया गया, और दोपहर तक लाभार्थियों के खाते में राशि को स्थानांतरित कर दिया गया तथा इसके उपरांत और सबसे महत्वपूर्ण ये रहा कि उसी दिन लाभार्थी ने सिविल अस्पताल, वर्धा के बिस्तर पर ही बीसी माइक्रो एटीएम के जरिए इसकी निकासी भी कर ली. श्रीमती फरज़ाना पठान उसी दिन अपने लाभ हासिल करने भारत की पहली जेएसवाई लाभार्थी बन गई.

अब वर्धा में 6 योजनाएं शुरू की जा चुकी हैं, जिनमें अजा, अजजा, अपिव छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां और बच्चों के लिए मैट्रिक पूर्व तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की राष्ट्रीय मैरिट छात्रवृत्ति योजना शामिल है. वर्धा एमएफएमएस, उर्वरक सब्सिडी पायलट के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में हैं, जिसे शीघ्र ही शुरू किया जाना है और इसके बाद वर्धा में उर्वरक केवल बाज़ार मूल्य पर उपलब्ध होंगे तथा पीओएस उपकरण के जरिए ट्रांजैक्शन पर लॉगिंग करके संबद्ध लोगों को सब्सिडी प्राप्त हो जाएगी. दो लाख किसानों के खाते आधार से जोड़े जा रहे हैं और 80 हजार किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये जा रहे हैं, जहां किसानों को कैशलैस क्रेडिट ट्रांजैक्शन सुविधा संभव हो सकेगी. एलपीजी के मामले में ओएमसी डीलरों के डाटाबेस को यूआईडी नंबरों के साथ जोड़ा जा रहा है. अन्य नई पहल ये है कि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने गांवों में नागरिक सेवा केंद्रों को ऑनलाइन सेवाएं देने के वास्ते अधिकृत कर दिया है जहां पर बैंकिंग प्रतिनिधि आधार आधारित सेवाओं का प्रचालन करेंगे.

वर्धा ने यूआईडी नंबरों को लाभार्थियों से जोड़कर सूचना प्रौद्योगिकी और वित्तीय समावेशन में एक नये मार्ग को खोला है. अप्रैल 2013 तक 3 लाख से अधिक लाभार्थी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के अधीन आ जाएंगे.

(लेखक: एक आईएएस अधिकारी हैं और वर्धा, महाराष्ट्र के कलेक्टर एवं जिला मैजिस्ट्रेट हैं. ई-मेल: collector_wardha@maharashtra.nic.in)

क्या मृत्यु-दंड अपराधों को रोकने में सफल हो सकता है?

—वृंदा ग्रोवर

मृत्यु-दंड किसी ऐसे व्यक्ति के जीवन को समाप्त करने के लिए आवश्यक होता है जो निश्चित अपराधों का दोषी होता है. विभिन्न देशों की दण्ड विधियां अपराध की प्रकृति, जो मृत्यु-दंड निर्धारित करती है, के अनुसार अलग होती हैं. जस्टिस वर्मा समिति ने दण्डात्मक विधि में संशोधन पर 23 जनवरी, 2013 को प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में यह स्वीकार किया है कि मृत्यु-दंड, दण्ड का एक अपरिवर्तनीय रूप है और गंभीर यौन अपराध में भी मृत्यु-दंड देना अंतर्राष्ट्रीय सिविल तथा राजीनतिक अधिकार प्रतिज्ञापत्र के अंतर्गत भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के प्रतिकूल हो सकती है. समिति का निष्कर्ष था कि ''मृत्यु-दंड देना सजा देने तथा सुधार करने का एक अधोगामी रूप होगा.''

यह आम तौर पर माना जाता है कि किसी अपराध के लिए दण्ड उस अपराध द्वारा पहुंचाए गए नुकसान की सीमा के समानुपात में होना चाहिए. कई न्याय व्यवस्थाओं ने यह नोट किया है कि मृत्यु-दंड देना कभी भी समानुपात नहीं हो सकता. यह इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि एक समाज के रूप में हम जीवन को एक अत्यधिक स्वाभाविक महत्व देते हैं. इसलिए एक अत्यधिक कठोर कदम उन परिस्थितियों को निर्धारित करने में लिया जाना चाहिए, जिनमें जीवन को समाप्त किया जा सकता हो, वास्तव में विश्व के 150 से भी अधिक राष्ट्रों ने मृत्यु-दंड की सजा पूर्णतः समाप्त कर दी है. यह इस पृष्ठभूमि में है कि हमें यह जांच करने की आवश्यकता है कि क्या भारत में उन अपराधों की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए, जिनमें मृत्यु-दंड दिया जाता है.

उच्चतम न्यायालय ने बच्चन सिंह बनाम भारत संघ एवं अन्य परवर्ती मामलों में यह कहते हुए मृत्यु-दंड देने के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं कि मृत्यु-दंड असाधारण में से भी केवल असाधारण मामलों में दिया जाए. यह वाद स्वयं में अस्पष्ट है तथा समस्यापूर्ण है, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं करता कि ''असाधारण में से भी विशेष मामलों का क्या अर्थ है. तथापि ये प्रयास भी यह सुनिश्चित करने में असफल रहे हैं कि जिन मामलों में मृत्यु-दंड दिया गया है, उनमें एक सामंजस्य है जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में संगीत एवं एएनआर बनाम हरियाणा राज्य मामले में कहा ''कि बच्चन सिंह सिद्धांती सजा देने के लिए अभिप्रेत था, ''सजा देना अब सचमुच जज-केन्द्रिक हो गया है.''

लेथल लॉटरी : द डेथ पैनल्टी इन इंडिया नामक रिपोर्ट (पीपल्स यूनियन फोर सिविल लिबर्टीज एंड एम्नेस्टी इंटरनेशनल द्वारा प्रस्तुत एक संयुक्त रिपोर्ट) में बताया गया है कि मृत्यु-दंड देना यथेच्छा एवं अनियत है. वास्तव में, यह देखा जा सकता है कि मृत्यु-दंड प्राप्त अधिकांश व्यक्ति समाज के कमजोर वर्गों, निम्न जातियों तथा धार्मिक अल्पसंख्यक वर्गों से हैं.

हाल ही में 14 पूर्व जजों ने भारत के राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने 13 दोषियों को दी गई मृत्यु-दंड की सजा को बदलने के लिए कहा है. पत्र में उल्लेख है कि उच्चतम न्यायालय ने इन 13 दोषियों के मामले में मृत्यु-दंड अन्यायपूर्ण रूप में देना स्वीकार किया है, यह दर्शाता है कि यह सुनिश्चित करना अत्यधिक कठिन है कि मृत्यु-दंड एकमत रूप में लागू किया जाता है या न्यायिक प्रक्रिया भय फैलाने है. यह मृत्यु-दंड समाप्त करने का एक प्रबल तर्क है.

आमतौर पर मृत्यु-दंड भय पैदा करने और/या दण्ड के उद्देश्य से दिया जाता है. तथापि, अनुसंधान से पता चलता है कि इन दोनों में से कोई भी उद्देश्य किसी अपराधी के लिए मृत्यु की सजा के समर्थन में प्राप्त नहीं किया जा सका है. यह तथ्य, कि बलात्कार के मामलों में दोषसिद्धि की दर मात्र 26% है, दर्शाता है कि यौन हिंसा के अपराधकर्ता सुरक्षित रहते हैं और सामान्यतः निर्दोष छोड़ दिए जाते हैं. यौन हिंसा के मामलों में दण्ड निश्चित रूप से मिलना एक ऐसा महत्वपूर्ण तथ्य है जो डर के रूप में कार्य करेगा. भारत में संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार कार्य-समूह के अनुसार, 1980 से मृत्यु-दंड देने में कमी आने के बावजूद भारत में पिछले 20 वर्षों में हत्या की दर पर्याप्त रूप में घटी है. यह दर्शाता है कि मृत्यु-दंड का कोई सकरात्मक प्रभाव न पड़ता हो. एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू जिस पर विचार किया जाना चाहिए यह है कि यदि बलात्कार के मामलों में मृत्यु-दंड दिया जाता है तो इसे इससे बलात्कार करने वाले व्यक्ति को पीड़ित की हत्या करने का बढ़ावा मिलेगा. यदि बलात्कार तथा बलात्कार करने के बाद हत्या. दोनों का दंड मृत्यु ही है तो बलात्कारी को अपने घृणित अपराध के प्रमाण मिटाने के प्रयास में पीड़ित की हत्या करने का प्रोत्साहन मिलेगा.

इसके अतिरिक्त, यह आवश्यक है कि अपराध की रिपोर्ट दर्ज कराने में कोई बाधा न हो. क्योंकि यह माना जाता है कि यौन-अपराधों की रिपोर्ट अन्य अपराधों की तुलना में कम लिखाई जाती है. यौन-उत्पीड़न के अधिकांश मामलों के रिपोर्ट लिखाने की दर कम होने के साथ-साथ पीड़ित यह जानता है कि ऐसे अधिकांश मामलों में बलात्कारी एक अन्य कारण है कि मृत्यु-दंड नहीं दिया जाना चाहिए. ऐसे यौन-अपराधों जिनमें पीड़ित एवं बलात्कारी एक-दूसरे को जानते है, के मामलों में मृत्यु-दंड देना, उनके रिपोर्ट दर्ज कराने में एक डर सिद्ध होगा.

इसके अतिरिक्त, यौन-उत्पीड़न के मामले में यदि बलात्कारी शक्ति सम्पन्न होता है (जैसा कि हिरासती बलात्कार या जाति अथवा सामुदायिक हिंसा में होता है) दोष सिद्ध करना अत्यंत कठिन होता है. यदि मृत्यु-दंड का खतरा होता है तो विधि-प्रवर्तन एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने का बड़ा विकल्प होता है कि शिकायत दर्ज न होने दें तथा न्याय न मिले. इस तरह मृत्यु-दंड लागू करने से दोष सिद्ध करना और कठिन हो जाएगा.

इस संदर्भ में हमें यह स्वीकार करने की आवश्यकता है कि प्रत्येक मनुष्य को जीवन का अधिकार है और इस तरह असाधारण मामलों में से भी असाधारण मामले में भी मृत्यु-दंड देने के अत्यंत अनिच्छुक हों. मृत्यु-दंड देना कोई समाधान नहीं है, बल्कि विधि में एक व्यापक व्यवस्थित परिवर्तन उसके कड़े एवं व्यावसायिक प्रवर्तन तथा न्यायिक प्रक्रिया में सुधार लाना अत्यावश्यक है. बलात्कार तथा यौन उत्पीड़न की संस्कृति को समाप्त करने के लिए हमें समाज में महिलाओं के विरुद्ध फैली असमानता, पूर्वाग्रह तथा भेदभाव को मिटाना होगा.

16 दिसम्बर, 2012 को एक युवती द्वारा झेली गई गैंग-रेप की पाश्विकता-जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई, हमारे समाज के लिए कलंक है. इस कलंकित तथा पाश्विकता आपराधिक कृत्य पर प्रतिक्रिया दिखाने के अन्य उपाय हैं. कुछ लोगों को फांसी पर लटका देने से महिलाओं का जीवन जीने का अधिकार तथा निजी स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं हो जाएंगे. यह क्षण हमारे लिए सामूहिक रूप से चिंतन-मनन करने का है. इससे हमें अपने जीवन पर व्यापक नियंत्रण की स्थिति प्राप्त होगी, भले ही हम हिंसा एवं निराशा के भंवर में फंसे हों.

(लेखिका मानव अधिकार पर कार्य करने वाली एक सुप्रसिद्ध वकील हैं.
ई-मेल : vrindagrover@gmail.com)

स्टाफ की भर्ती

अधीक्षण इंजीनियर का कार्यालय, जलीय सर्वेक्षण सर्कल, केंद्रीय जल आयोग
महानदी भवन, प्लाट नं. ए-13 एवं 14, भोई नगर, भुवनेश्वर-751022 (उड़ीसा)

निम्नलिखित पदों के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं:

क्र. सं.	पद का नाम	रिक्तियों की संख्या	वेतनमान	योग्यता	आयु	अनुभव
1	कार्य प्रभारित मोटर वाहन चालक	सामान्य-1, अपिव-1, अजा-1 एवं अजजा-1 (कुल 4)	रु. 5200-20200 जीपी-1900	1.मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से मैट्रिक या समतुल्य 2.वैध मोटर वाहन ड्राइविंग लाइसेंस धारण करता हो. 3. इस क्षेत्र में 01 (एक) वर्ष का प्रायोगिक अनुभव. 4. वाहन मरम्मत का ज्ञान	18-30 वर्ष, अजा/अजजा/ अपिव के लिए सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट	1 वर्ष
2	आउट बोट इंजिन ड्राइवर	सामान्य-4, अजजा-2	रु. 5200-20200 जीपी-1900	1. मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय/ संस्थान से मैट्रिक या आईटीआई या समतुल्य. 2. मोटर बोट/ओबीई ड्राइविंग में वैध लाइसेंस	--वही--	1 वर्ष

उपर्युक्त पद अस्थाई हैं, लेकिन इसे जारी रहने की आशा है. वर्तमान तैनाती महानदी एवं पूर्वी नदी संगठन के कार्य क्षेत्र अर्थात् उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश एवं झारखंड में होगी, जो भारत में कहीं भी काम करने के दायित्व के साथ है.

अभ्यर्थी हाल के दो पासपोर्ट आकार के फोटो और शैक्षिक योग्यता के समर्थन में सभी प्रमाणपत्रों, अंक पत्रों की फोटो प्रतियों (विधिवत सत्यापित) और आयु अनुभव एवं जाति (अजा/ अजजा/ अपिव) आदि के प्रमाण पत्रों के साथ इस विज्ञापन के प्रकाशन के **30 दिनों के** भीतर पूर्ण जीवन-वृत्त सहित ऊपर उल्लिखित पते पर अधोहस्ताक्षरी को निर्धारित प्रपत्र (नीचे दिए गए के.ज.आ. की वेबसाइट पर उपलब्ध) में आवेदन करें. आयु और अनुभव के लिए कट ऑफ आवेदन करने की अनुमत्य अंतिम तिथि अर्थात् विज्ञापन के प्रकाशन के बाद 30 दिन से प्रभावी होगी.

प्रपत्र सहित विस्तृत सूचना के.ज.आ. की वेबसाइट **www.cwc.gov.in** पर उपलब्ध है.

अधीक्षण इंजीनियर
रो.स. 48/87

रोज़गार समाचार

ईरा जोशी
अतिरिक्त महानिदेशक
अनुराग मिश्रा
निदेशक
डॉ. ममता रानी
संपादक
नलिनी रानी
संपादक (विज्ञापन एवं संपादकीय)
इरशाद अली
संपादक (उर्दू)
केपी मणिलाल
लेखा अधिकारी
सूर्यकांत शर्मा
व्यापार व्यवस्थापक
विनोद कुमार मीणा
संयुक्त निदेशक (उत्पादन)
पी.के. मंडल
वरिष्ठ कलाकार

संपादकीय कार्यालय
रोज़गार समाचार
पूर्वी खण्ड IV
तल-5, रामकृष्णपुरम
नई दिल्ली-110066

ई-मेल : **newsedit@gmail.com**
ग्राम : **'Rozgar' New Delhi**

संपादकीय	: 26163055
विज्ञापन	: 26104284
टेलीफैक्स	: 26193012
वितरण	: 26107405
टैलीफैक्स	: 26175516
प्रोडक्शन	: 26177529
लेखा (विज्ञापन)	: 26193179
लेखा (वितरण)	: 26182079

प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के लिए ईरा जोशी, अतिरिक्त महानिदेशक द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित और प्रिंटिंग प्रेस अमर उजाला पब्लिकेशन लिमिटेड, सी-21 व 22, सेक्टर-59, नोएडा-201301 में मुद्रित, रोज़गार समाचार (सूचना और प्रसारण मंत्रालय) ईस्ट ब्लाक-IV, लेवल-5, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066 द्वारा प्रकाशित, संपादक-डॉ. ममता रानी